संख्या:100/2016/445जे0/22-3-16-96एचआरसी/2007

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 17 मार्च, 2016***

विषय: मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली/राज्य मानवाधिकार आयोग, उ0प्र0, लखनऊ की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में अंतरिम सहायता की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति का अधिकार प्रतिनिधानित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली/राज्य मानवाधिकार आयोग, उ0प्र0, लखनऊ की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में अंतरिम सहायता की धनराशि अभी तक व्यवस्था के अनुसार न्याय विभाग/वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त करके एवं पुन: स्वीकृत आलेख पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर निर्गत की जाती रही है। उक्त प्रक्रिया में पर्याप्त समय लगता रहा एवं मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली/राज्य मानवाधिकार आयोग, उ0प्र0,लखनऊ द्वारा निर्धारित समय में अंतरिम सहायता की धनराशि मृतक आश्रित/पीडित को न प्राप्त होने के फलस्वरूप मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव के नाम सम्मन जारी करने/व्यक्तिगत उपस्थिति जैसे निर्देश दिये जाते रहे हैं। अतएव उक्त प्रक्रिया को सरलीकृत करके अनावश्यक विलम्ब से बचने के दृष्टिकोण से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अंतरिम सहायता की धनराशि रू0-5,00,000/-(रूपये पांच लाख मात्र) की सीमा तक की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति का अधिकार प्रमुख सचिव, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन को निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रतिनिधानित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) प्रशासकीय विभाग द्वारा न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त करके रू0-05.00 लाख की सीमा तक की अन्तरिम सहायता की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित प्रकरण में मा0 आयोग की संस्तुतियों के आलोक में मानवाधिकार हनन में स्वीकृत की जाने वाली अन्तरिम सहायता की धनराशि नियमानुसार दोषी कार्मिक के नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा दोषी कार्मिकों से वसूल कर राजकोष में जमा की जायेगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ए-2-36/दस-2016, दिनांक 16 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या:100/2016/445जे0(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक(मानवाधिकार), उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
5. वित्त(लेखा) अनुभाग-1/2
6. गृह(पुलिस) अनुभाग-7
7. गृह(मानवाधिकार) अनुभाग-1/2
8. कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in